

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक १/११/२०२२

क्रमांक- एफ-३-२८/२०२२/१८-५: आयुक्त सह संचालक, नग्रानि ने पत्र क्रमांक ५६९ दिनांक १०/०२/२०२२ द्वारा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय जबलपुर के पत्र क्रमांक ३०० दिनांक ०९/१२/२०२१ की छायाप्रति संलग्न कर मान० आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्र. ००६१/अपील/२०२०-२१ में पारित आदेश दिनांक १०/११/२०२१ से व्यथित होकर मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम १९७३ की धारा ३२ के तहत प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका विभाग में प्रस्तुत की है।

१/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

पुरुषार्थी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित जबलपुर के अनुमोदित आवासीय अभिन्यास के आवासीय भूखण्ड क्रमांक १४, रकबा ६०४.०८ वर्गमीटर पर आवेदक द्वारा ऑनलाइन प्रकरण क्रमांक TEMPIBLLP6800 दवारा पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु अधिनियम की धारा २९(१) के अंतर्गत आवेदक श्री आदित्य अग्रवाल एवं श्री रोहित अग्रवाल द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय जबलपुर के पत्र क्रमांक १६२४ दिनांक ०३/०९/२०२० के द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम १९७३ की धारा ३० (१)(ग) के अंतर्गत अनुज्ञा दिये जाने से निम्न आधार पर इन्कार किया गया :-

१.१ यह है कि, आवेदक द्वारा प्रस्तुति आवेदन अनुसार यथावर्णित आवासीय भूखण्डा संलग्न निष्पादित पंजीयन दिनांक १४/०७/२०१४ एवं प्रथम सेल डीड दिनांक ०३/०४/१९७८ के अनुसार पुरुषार्थी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित जबलपुर द्वारा रहवासीय प्रयोजन हेतु निष्पादित होने के कारण।

१.२ उपपंजीयक, सहकारी संस्थाएं जबलपुर के पत्र क्रमांक- उ.आ.स./गृ.नि. /२०/१७०४ दिनांक २९/०८/२०२० के पत्र के द्वारा विषयांकित प्रकरण में लेख किया गया है कि संस्था की उपविधियों में किसी भी भूखण्डों को आवासीय प्रयोजन से भिन्न पेट्रोल पम्प स्थापना किए जाने का प्रावधान

ही है एवं संस्था वर्तमान में प्रभावशील है।

संचालक मंत्रालय
नगर तथा ग्राम निवेश विभाग
आवेदक क्र. २७११
दिनांक ११/११/२२
शाखा
AOT
संयुक्त

Ag 11/11/22

11/11/22

1.3 अध्यक्ष, पुरुषार्थी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित के पत्र क्रमांक पी.सी.एच.एस./20-21 दिनांक 31.08.2020 के द्वारा लेख किया गया है कि, अध्यक्ष, गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1267 में भूखण्ड क्रमांक 14 श्रीमती रश्मि चड्ढा जी के नाम पर दर्ज है। और समिति उपनियम (बॉयलाज) भूखण्ड पर पेट्रोल पम्प खुलने की अनुमति नहीं देता है। यह भूखण्ड केवल निवास करने (रेंसीडेंसियल पर्पस) के लिए है।

1.4 जबलपुर विकास योजना 2021 के अध्याय-4 विकास नियमन के बिन्दु 4.2 क्षेत्राधिकार के सरल क्रमांक-4 एवं 8 में उल्लेखित क्षेत्राधिकार के आधार पर :-

- (4) विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत वर्तमान भवन, वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान उपयोग हेतु यथावत रहेंगे।
- (8) प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना/विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमायें स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग/गाडी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जाएगा।

उक्त आदेश से व्यथित होकर आवेदक श्री आदित्य अग्रवाल एवं श्री रोहित अग्रवाल द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 31 के प्रावधान के अंतर्गत संभागायुक्त कार्यालय जबलपुर में अपील (प्रकरण क्रमांक 0061/अपील/ 2020-21) प्रस्तुत की गयी।

2/ अपील प्रकरण क्रमांक 0061/अपील/2020-21 में कमिश्नर जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा आदेश दिनांक 10/11/2021 परित किया गया जिसके प्रमुख अंश निम्नानुसार है :-

उपरोक्त संपूर्ण विवरण के आधार पर मेरे समक्ष निम्न प्रश्न विचारणीय है -

- (1) क्या आवासीय भूखंड पर पेट्रोल पंप निर्माण किया जा सकता है ?
- (2) क्या किसी आवासीय संस्था के उपनियमों को संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश किसी प्रयोजन हेतु अनुमति देते समय आधार बना सकते हैं ?
- (3) क्या प्रस्तुत प्रकरण में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है ?

उपरोक्त विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 के संबंध में म0प्र0 भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53 उपनियम (अ) के अनुसार पेट्रोल पम्प की स्थापना राष्ट्रीय राजमार्ग से भिन्न सडक/मार्ग हेतु आवासीय प्रयोजन हेतु आरक्षित भूमि पर किया जा सकता है।

824

इस बात का खण्डन अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश में नहीं है। अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 का उत्तर "हाँ" में आता है।

उपरोक्त विचारणीय प्रश्न क्रमांक-2 के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश का मुख्य-दायित्व किसी भी प्रकार के निर्माण/भूमि उपयोग हेतु अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से पूर्व यह देखना है कि ऐसे निर्माण/उपयोग से नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 2012 के किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा या नहीं वह यह भी देख सकते हैं कि किसी अन्य विधि नियम का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। प्रस्तुत प्रकरण में कोई शासन द्वारा निर्मित विधि या नियमों का उल्लंघन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। परन्तु एक आवासीय संस्था के उपनियमों का उल्लंघन होना परिलक्षित होता है, और यह स्पष्ट है कि किसी आवासीय संस्था के उपनियमों में विधायिका द्वारा पारित विधि या उसके तहत बनाए गए नियमों का बल नहीं है। अतः उक्त प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर "नहीं" में आता है परन्तु ऐसा उत्तर अन्य आनुशांगिक पहलुओं पर निर्भर करता है।

प्रश्न क्रमांक 3 के संबंध में यह देखा जाना आवश्यक है कि क्या अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने में विधिक भूल की गई है इस संबंध में उपरोक्त 2 प्रश्नों के परिपेक्ष में की गई विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि जिस अधिनियम से सक्षम अधिकारी अनुमति देने या अनुमति देने से इंकार करने की शक्तिया प्राप्त करता है, उस अधिनियम में प्रस्तुत प्रकरण में अनुमति देने से इंकार करने का पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं है। जहाँ तक किसी आवासीय संस्था के उपनियमों का प्रश्न है तो ऐसे उपनियम बाध्यकारी नहीं माने जा सकते हैं। ऐसे प्रकरणों में समान परिस्थिति में समान व्यवहार (equity) का सिद्धान्त महत्वपूर्ण हो जाता है। इस सिद्धान्त की कसौटी पर आलोच्य आदेश को परखा जाना आवश्यक है।

इस संबंध में आवेदक के अपीलीय आवेदन के पैरा 6 में लेख किया गया है कि पूर्व में भी जन सुविधा को देखते हुए पुरुषार्थी गृह निर्माण सहकारी समिति के अन्य आवासीय प्लॉट में एच.डी.एफ.सी. बैंक, न्यू कुमार हॉस्पिटल, डॉ0 अनुपम साहनी का हॉस्पिटल, विभिन्न स्कूल आदि की अनुमति दी गई है और स्थापित भी है। उक्त विषय का खंडन अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी के आदेश में उल्लेखित नहीं है। अतः equity के सिद्धान्त अनुसार अपीलार्थी को भी पेट्रोल पंप स्थापना की अनुमति दी जानी चाहिए।

साथ ही यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलाथी द्वारा संबंधित आवासीय भूखंड के व्यावसायिक उपयोग हेतु व्यपवर्तन की अनुमति संबंधित सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गई है। किसी भूखंड का उपयोग एक प्रयोजन से दूसरे प्रयोजन के लिये करने की अनुमति देने का अधिकार संबंधित उपखंड अधिकारी (राजस्व) का है। किसी आवासीय समिति के भूखंडों के उपयोग में परिवर्तन करने की अनुमति देने के पूर्व

804

संबंधित समिति के उपनियम को संज्ञान में लेने का दायित्व ऐसी भूमि व्यपवर्तन की अनुमति दिये जाने के पश्चात संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा समिति उपनियमों को आधार बनाकर व्यवसायिक उपयोग की अनुमत या अनापत्ति प्रमाण पत्र न दिया जाना न्यायसंगत नहीं है। संबंधित सोसायटी द्वारा अन्य व्यक्तियों को उनके आवासीय प्लॉट पर व्यवसायिक गतिविधियाँ संचालित करने की अनुमति देना एवं अपीलार्थी को नहीं देना equity के सिद्धान्त के विरुद्ध है। अतः ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी आपत्ति को आधार बनाकर अपीलार्थी को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से इंकार करना उचित प्रतीत नहीं होता।

उपरोक्त सम्पूर्ण विचारण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि सक्षम प्राधिकारी, नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर द्वारा जारी आलोच्य आदेश "Vice of inequity" से ग्रसित है और ऐसा आदेश यथावत रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 03/09/2020 निरस्त किया जाता है।

3/ उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के पत्र क्रमांक 569 दिनांक 10/02/2022 के द्वारा निम्न आधार पर मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-32 के तहत प्रकरण पुनरीक्षण में लिये जाने हेतु लिखा गया है :-

- पुरुषार्थी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित जबलपुर के स्वीकृत अभिन्यास के आवासीय भूखण्ड में आवेदक के द्वारा पेट्रोल पंप की स्थापना हेतु आवेदन किया गया था। जिस पर नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर कार्यालय के पत्र क्रमांक 1463 से 1465 दिनांक 17/08/2020 के द्वारा उपायुक्त जिला सहकारिता एवं संस्था विभाग तथा पुरुषार्थी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित जबलपुर से अनापत्ति चाही गई थी।
- उपपंजीयक सहकारी संस्थाएं जबलपुर के पत्र क्रमांक उ.आ.स./गृ.नि./20/1704 दिनांक 29/08/2020 के द्वारा विषयांकित प्रकरण में लेख किया गया है, कि संस्था की उपविधियों में किसी भी भूखण्डों को आवासीय प्रयोजन से भिन्न पेट्रोल पम्प स्थापना किए जाने का प्रावधान नहीं है, एवं संस्था वर्तमान में प्रभावशील है।
- अध्यक्ष, पुरुषार्थी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित के पत्र क्रमांक पी.सी.एच.एस./20-21 दिनांक 31.08.2020 के द्वारा लेख किया गया है कि, अध्यक्ष, गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1267 में भूखण्ड क्रमांक 14 श्रीमती रश्मि चड्डा जी के नाम पर दर्ज है।

Sox

और समिति उपनियम (बॉयलाज) भूखण्ड पर पेट्रोल पम्पन खुलने की अनुमति नहीं देता है। यह भूखण्ड केवल निवास करने (रेंसीडेंसियल पर्पस) के लिए है।

- जबलपुर विकास योजना 2021 के अध्याय-4 विकास नियमन के बिन्दु 4.2 क्षेत्राधिकार के सरल क्रमांक-4 एवं 8 में उल्लेखित क्षेत्राधिकार के आधार पर :-
 - (4) विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत वर्तमान भवन, वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान उपयोग हेतु यथावत रहेंगे।
 - (8) प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना/विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमायें स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग/गाडी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जाएगा।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृत अभिन्यास के आवासीय भूखण्ड पर पेट्रोल पंप की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।

4/ प्रकरण में विभाग द्वारा दिनांक 17/05/2022, 22/06/2022 एवं 04/07/2022 को सुनवाई नियत की जाकर संबंधितों को सूचना पत्र, विभागीय पत्र दिनांक 12/05/2022, 16/06/2022 एवं 24/06/2022 जारी किया गया।

5/ दिनांक 17/05/2022 एवं 04/07/2022 को सुनवाई हेतु पुनरीक्षणकर्ता श्री आर.के. सिंह, संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय जबलपुर एवं श्री आदित्य अग्रवाल जबलपुर स्वयं उपस्थित हुए। प्रकरण अंतर्गत उभय पक्षों के तर्क श्रवण किये गये।

श्री आदित्य अग्रवाल द्वारा समक्ष में हुई सुनवाई में यह पक्ष रखा गया कि मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53 (iv) (b) में दी गई सारणी के कॉलम 8 के अनुसार आवासीय भूखण्ड पर पेट्रोल पम्प स्वीकार्य गतिविधि है। प्रश्नाधीन भूखण्ड क्रमांक-14 का व्यपतर्वन व्यवसायिक उपयोग के लिए किया जा चुका है। पेट्रोल पंप/इर्धन भराव केन्द्र की स्थापना व्यापक जनहित को देखते हुए जनसुविधा केन्द्र के रूप में है और इसी कारण से उक्त प्रस्तावित क्षेत्र में पेट्रोल पम्प की स्थापना अति आवश्यक है। उनके द्वारा यह भी कथन किया गया है कि, उनके प्रकरण का निराकरण संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय जबलपुर द्वारा अधिनियम में नियत 60 दिवस की समयावधि में नहीं किया गया है अतः उन्हें डीमंड अनुमति प्राप्त है।



श्री आर.के.सिंह, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रति उत्तर में यह कहा गया कि, प्रश्नाधीन भूखण्ड पुरुषार्थी गृह निर्माण सहकारी समिति जबलपुर के अभिन्यास में आवासीय भूखण्ड के रूप में दर्शाया गया है। श्री सिंह द्वारा उनके कथन के समर्थन में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर संभाग के पत्र दिनांक 17/07/1998 की प्रमाणीत प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है, जिसके साथ तत्कालीन संयुक्त संचालक द्वारा हस्ताक्षरित पुरुषार्थी गृह निर्माण सहकारी समिति का अभिन्यास संलग्न है। श्री सिंह द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि, उक्त अभिन्यास के आधार पर संपूर्ण क्षेत्र विकसित एवं अधिकांश भूखण्डों पर भवन निर्माण भी किया गया है। उनके द्वारा गूगल मानचित्र पर उक्त कालोनी के अभिन्यास को over-lay करके दर्शित मानचित्र भी प्रस्तुत किया है।

श्री सिंह द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम-53 (iv) (b) में दी गई सारणी के कॉलम 8 के अनुसार आवासीय भूमि उपयोग पर तो ईंधन भराव केन्द्र स्वीकार्य है, किन्तु आवासीय अभिन्यास के आवासीय भूखण्ड पर ईंधन भराव केन्द्रव स्वीकार्य गतिविधियाँ नहीं हैं। श्री सिंह द्वारा अपने कथन के समर्थन में जबलपुर विकास योजना- 2021 की अनुसूची-1 जिसमें परिसरो की परिभाषायें दी गई हैं, के सरल क्रमांक-1 का अवलोकन कराया गया जो कि निम्नानुसार है :-

1. आवासीय भू-खण्डक-भू-खण्डीय आवास

एक या अधिक आवासीय इकाईयों का ऐसा परिसर जिसमें मुख्य भवन खण्ड तथा एक गैरेज/गैरेजेस सेवक आवास हेतु एक अतिरिक्त खण्ड सम्मिलित हो।

श्री सिंह द्वारा उपपंजीयक सहकारी संस्थाए जबलपुर के पत्र क्रमांक 1074 दिनांक 29/08/2020 का अवलोकन भी कराया गया है, जिसमें लेख किया गया है कि, संस्था की उपविधियों में किसी भी भूखण्डों को आवासीय प्रयोजन से भिन्न पेट्रोल पम्प स्थापना किये जाने का प्रावधान नहीं है एवं संस्था वर्तमान में प्रभावशील है।


आवेदक श्री आदित्य अग्रवाल एवं श्री रोहित अग्रवाल के द्वारा धारा-29 (1) के अंतर्गत दिनांक 13/07/2020 को विकास अनुज्ञा चाही गई थी। एवं उनके कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 1464 से 1465 दिनांक 17/08/2020 तथा स्मरण पत्र क्रमांक 1551 से 1552 दिनांक 27/08/2020 के द्वारा उपायुक्त जिला सहकारिता विकास एवं अध्यक्ष पुरुषार्थी को-ऑपरेटिव सोसायटी से अनापत्ति चाही गयी थी, उनके द्वारा दिनांक 31/08/2020 एवं 29/08/2020 के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी।



उक्त आधार पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1624 दिनांक 30/09/2020 को आपत्ति के आधार पर प्रकरण धारा 30 (1) (ग) के आधार पर इन्कार किया गया है। इस कार्यालय के द्वारा 52 दिवस की समय सीमा में प्रकरण का निराकरण किया गया।

6/ मेरे द्वारा उपरोक्त तथ्यों का गहन परीक्षण किया गया तथा समग्र रूप से अवलोकन एवं विचार के पश्चात निम्न लिखित निष्कर्ष निकाला गया :-

- 6.1 प्रश्नाधीन भूखण्ड पुरुषार्थी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित जबलपुर के अभिन्यास में आवासीय भूखण्ड के रूप में दर्शित है एवं जबलपुर विकास योजना- 2021 की अनुसूची-1 जिसमें परिसरो की परिभाषायें दी गई है के सरल क्रमांक-1 आवासीय भू-खण्ड-भू-खण्डीय आवास की परिभाषा के अनुसार आवासीय भूखण्ड पर एक या अधिक आवासीय इकाईयों का ऐसा परिसर जिसमें मुख्य भवन खण्ड तथा एक गैरेज/गेरेजेस सेवक आवास हेतु एक अतिरिक्त खण्ड सम्मिलित हो, का निर्माण किया जाना संभव है। उक्त भूखण्ड पर ईंधन भराव केन्द्र स्वीकार्य नहीं है।
- 6.2 माननीय आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्र. 0061/अपील/2020-21 में पारित आदेश दिनांक 10/11/2021 में मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम-53 (iv) (b) में दी सारणी के कॉलम 8 की गई आवासीय भूमि उपयोग की व्याख्या त्रुटीपूर्ण रूप से आवासीय भूखण्ड के रूप में करते हुए की गई है।
- 6.3 उप पंजीयक सहकारी संस्था जबलपुर के पत्र क्रमांक 1074 दिनांक 29/08/2020 जिसमें लेख किया गया है कि, संस्था की उपविधियों में किसी भी भूखण्डों को आवासीय प्रयोजन से भिन्न पेट्रोल पम्प स्थापना किये जाने का प्रावधान नहीं है एवं संस्था वर्तमान में प्रभावशील है भी विचार योग्य है।
- 6.4 संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय जबलपुर द्वारा धारा-29 (1) के तहत प्राप्त आवेदन का निराकरण अधिनियम में दी गई समय-सीमा के अंतर्गत ही किया है। अतः डीम्ड अनुमति का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।




7/ उपरोक्त के आधार पर धारा-32 के तहत आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश के द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका दिनांक 10/02/2022 को मान्य करते हुए माननीय न्यायालय आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 0061/अपील/2020-21 में पारित आदेश दिनांक 10/11/2021 को अपास्त किया जाता है तथा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय जबलपुर के पत्र क्रमांक 1624 दिनांक 03/09/2020 को यथावत रखा जाता है।

प्रकरण एतद् द्वारा निराकृत किया जाता है।

सर्व संबंधितों को सूचित हो।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(मनीष सिंह)

प्रमुख सचिव

मध्य प्रदेश शासन


नगरीय विकास एवं आवास विभाग

पृक्र. एफ-3-28/2022/18-5

भोपाल दिनांक 9/11/2022

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त राजस्व, जबलपुर संभाग जबलपुर, म0प्र0
2. आयुक्त सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म0प्र0 भोपाल,
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय जबलपुर
4. श्री आदित्य अग्रवाल, आत्मज श्री रविकांत अग्रवाल एवं अन्य मकान नं. 104 आदर्श नगर नर्मदा रोड जबलपुर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।


उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

नगरीय विकास एवं आवास विभाग